

डिकी व मुकदमें की इक्टदाई

(ओ. 2 रु. 6-7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डियस डी-1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

इजलास श्री उपखंड अधिकारी सीमलवाडा श्री राकेश कुमार न्योल

प्रकरण संख्या- 77/21 रेवेन्यु

श्री हीरालाल वनाम भूमिधारी

वाद बाबत: वाद अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकार अधिनियम एवं धारा 136 भु-राजस्व अधिनियम व सपठित धारा 212 जाप्ता दीवानी वादबाबत स्थायी निषघाज्ञा जारी करने व नक्शे में पैमुदगी तरमीम कर दुरुस्त करने

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू:- श्री राकेश कुमार न्योल

व हाजरी:-

श्री कर्तव्य शाह मिनजानिव मुदई उपस्थित व मिनजानिव मुदायलाह की ओर से जवाब प्रस्तुत होकर हुक्म दिया जाता है डिकी दी जाती है कि-

वादी व अन्य सहखातेदार के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया में खाता संख्या 47, खसरा नम्बर 282, 283, 764/285 खेत किता 3, कुल रकबा 0.2347 हैक्टेयर, इसी प्रकार ग्राम भाटीया में खाता संख्या 172, खसरा नम्बर 276, 278, 279, 280, 281 खेत किता 5, कुल रकबा 1.6348 हैक्टेयर, इसी प्रकार ग्राम रामसौरबडा में खाता संख्या 51, खसरा नम्बर 966 खेत किता 1, कुल रकबा 0.7365 हैक्टेयर, इसी प्रकार रामसौरबडा में खाता संख्या 52, खसरा नम्बर 454, 953, 954, 955, 956, 957 खेत किता 6, कुल रकबा 1.1898 हैक्टेयर, इसी प्रकार मौजा रामसौरबडा में खाता संख्या 49, खसरा नम्बर 448, 449, 452, 453, 455, 459, 460, 462, 463, 464, 468, 469, 471 472 खेत किता 14 कुल रकबा 2.9461 हैक्टेयर में वादी का नाम हिरा के स्थान पर हिरालाल दर्ज कर शुद्ध किया जाने आदेश किया जाता है।

दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 08.05.2024 को जारी की गई

दस्तखत.

ओहदा.

मुदई	रूपया/पेसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प व जेह सबुत भहनताना वकील फीस कमीशनर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी भहनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

R

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
सीमलवाडा जिला डुंगरपूर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी:-
प्रकरण संख्या:-77/2021 रेवेन्यु

राकेश कुमार न्योल
निर्णय दिनांक:-08.05.2024

1 श्री हीरालाल पिता गला डामोर उम्र वयस्क निवासी रामसौरबडा तहसील
सीमलवाडा जिला डुंगरपूर राजस्थान वादी

बनाम

1 श्री भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा जिला डुंगरपूर राजस्थान।
प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकार अधिनियत व
धारा 136 भु राजस्व अधिनियम व
सपठित धारा 212 जाप्ता दीवानी

अधिवक्ता वादी:- कर्तव्य शाह उपस्थित

निर्णय


प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी व अन्य सहखातेदार के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया में खाता संख्या 47, खसरा नम्बर 282, 283, 764/285 खेत किता 3, कुल रकबा 0.2347 हैक्टेयर, इसी प्रकार ग्राम भाटीया में खाता संख्या 172, खसरा नम्बर 276, 278, 279, 280, 281 खेत किता 5, कुल रकबा 1.6348 हैक्टेयर, इसी प्रकार ग्राम रामसौरबडा में खाता संख्या 51, खसरा नम्बर 966 खेत किता 1, कुल रकबा 0.7365 हैक्टेयर, इसी प्रकार रामसौरबडा में खाता संख्या 52, खसरा नम्बर 454, 953, 954, 955, 956, 957 खेत किता 6, कुल रकबा 1.1898 हैक्टेयर, इसी प्रकार मोजा रामसौरबडा में खाता संख्या 49, खसरा नम्बर 448, 449, 452, 453, 455, 459, 460, 462, 463, 464, 468, 469, 471 472 खेत किता 14 कुल रकबा 2.9461 हैक्टेयर होकर स्थित है। जिसमें वादी का नाम हिरा पिता गला डामोर दर्ज हो गया है। जबकि वादी का वास्तविक नाम हिरालाल पिता गला डामोर है। वादी के राजकीय दस्तावेजों में भी वादी का नाम हिरालाल पिता गला डामोर दर्ज अंकित है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है।

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया जबकि वादी का वास्तविक नाम हिरालाल पिता गला डामोर है। वादी के राजकीय दस्तावेजों में भी वादी का नाम हिरालाल पिता गला डामोर दर्ज अंकित है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है। ऐसे वाद स्वीकार कर डिकी किया जावे।


हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नामान्तरणकरण नकल, हाल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, अन्य दस्तावेजों, पत्रावली, तहसीलदार सीमलवाडा की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिसमें वादी का नाम हिरालाल पिता गला डामोर होना पाया गया है। उस अनुसार वादी के कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी में वादी का नाम हिरा के स्थान हिरालाल रिकॉर्ड में दर्ज कर शुद्ध किया जाना उचित है।

कमशः पेज 2 पर

प्रकरण में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी व अन्य सहखातेदार के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया में खाता संख्या 47, खसरा नम्बर 282, 283, 764/285 खेत किता 3, कुल रकबा 0.2347 हैक्टेयर, इसी प्रकार ग्राम भाटीया में खाता संख्या 172, खसरा नम्बर 276, 278, 279, 280, 281 खेत किता 5, कुल रकबा 1.6348 हैक्टेयर, इसी प्रकार ग्राम रामसौरबड़ा में खाता संख्या 51, खसरा नम्बर 966 खेत किता 1, कुल रकबा 0.7365 हैक्टेयर, इसी प्रकार रामसौरबड़ा में खाता संख्या 52, खसरा नम्बर 454, 953, 954, 955, 956, 957 खेत किता 6, कुल रकबा 1.1898 हैक्टेयर, इसी प्रकार मौजा रामसौरबड़ा में खाता संख्या 49, खसरा नम्बर 448, 449, 452, 453, 455, 459, 460, 462, 463, 464, 468, 469, 471 472 खेत किता 14 कुल रकबा 2.9461 हैक्टेयर में वादी का नाम हिरा के स्थान पर हिरालाल दर्ज कर शुद्ध किया जाने आदेश किया जाता है। डिफ़ी पर्चा मुर्तिब किया जावे।


राकेश कुमार न्योल
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 08.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


राकेश कुमार न्योल
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा